राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–972/2018

डायरेक्टर पी.एस.मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट एवं अन्य
बनाम
मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

आदेश दिनांकः– **06.11.2019**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण :– श्री भरत सैनी
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री एस.सी.मित्तल

यह सिविल विविध अपील 212 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि प्रार्थना पत्र में व अतिरिक्त शपथपत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए 212 दिन के विलम्ब को पर्याप्त व यथेष्ठ कारण दर्शित करते हुए स्पष्टीकृत कर दिया गया है । उन्होंने यह अपील सुदृढ़ आधारों पर होना व गुणावगुण पर स्वीकार योग्य होना कहते हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की । उन्होंने इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत अतिरिक्त शपथपत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब ऑफिसर इन्चार्ज के स्तर पर नहीं किया गया । अन्त में उन्होंने अपील

प्रस्तुत करने के हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र धारा –5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की ।

प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए 212 दिन के विलम्ब के संबंध में काई पर्याप्त व यथेष्ठ कारण दर्शित नहीं किया गया है । न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2019 की कोई पालना नहीं की गई है बल्कि उक्त आदेश की पालना में प्रस्तुत अतिरिक्त शपथपत्र से स्पष्ट है कि ऑफिसर इंचार्ज ने विभाग के निर्देशों के बावजूद राजकीय अधिवक्ता से अपील प्रस्तुत करने के संबंध में संपर्क नहीं किया । इस प्रकार ऑफिसर इंचार्ज के स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गई है । जब दिनांक 25.05.2017 को ही अपील प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया गया था तो अपील इतने विलम्ब से क्यों प्रस्तुत की गई, इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र में नहीं बताया गया है। श्री अशोक कुमार तंवर, अधिशाषी अभियन्ता, जो प्रकरण में प्रारंभ से ऑफिसर इंचार्ज थे उनके अतिरिक्त शपथ पत्र में कहीं भी दर्शित नहीं है कि उन्होंने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में अपील समय पर क्यों प्रस्तुत नहीं कराई । जब अपील सन् 2017 में ही तैयार की जा चुकी थी फिर भी अपील समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना विभाग की लापरवाही को स्वयंमेव प्रमाणित करता है । इन तथ्यों व परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे ।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों पर विचार करने के बाद व प्रार्थना पत्र, अतिरिक्त शपथपत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों व जवाब प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के बाद यह न्यायालय इस मत का है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को पर्याप्त व यथेष्ठ कारण द्वारा स्पष्टीकृत कर दिया गया है। अतिरिक्त शपथपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से राजकीय अधिवक्ता को तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित समय पर अभिलेख प्रेषित कर दिया जाना प्रकट होता है, अपील समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने में ऑफिसर इन्चार्ज के स्तर पर कोई लापरवाही या चूक रही हो, यह प्रकट नहीं होता ।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम इस शर्त के साथ कि अपीलार्थी दिनांक 13.11.2019 तक 5000/– रूपये हर्जा सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराकर कार्यालय में रसीद प्रस्तुत करेगा, स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा हर्जा उक्त अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व अपील इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे ।

निश्चित् समयावधि में हर्जा जमा होने पर यह अपील दिनांक 13.11.2019 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/79